

**मध्यप्रदेश शासन
प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति
सचिवालय**

कार्यालय: टैगोर छात्रावास श्यामला हिल्स, भोपाल-462002

दूरभाष एवं फैक्स: 0755-2660461 email:afrcmp@gmail.com, web site: www.afrcmp.org

क्रमांक/सचि./ओएसडी/2026/ २१।

दिनांक- 12.01.2026

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/संचालक/प्राचार्य,
(निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त व्यावसायिक शिक्षण संस्थाएं)
मध्यप्रदेश।

विषय- प्रदेश के निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं के आगामी ब्लॉक के अर्थात् सत्र 2026-27, 2027-28 एवं 2028-29 के शुल्क विनियमन के संबंध में।

मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम-2007 के तहत गठित प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, भोपाल द्वारा प्रकाशित राजपत्र दिनांक 15 अप्रैल, 2008 के विनियम की कंडिका 5 (1) में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप प्रदेश में स्थित निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त संस्थाओं द्वारा संचालित एवं किसी नियामक/निकाय यथा ए.आई.सी.टी.ई., पी.सी.आई., एम.पी.एन.आर.सी., एन.एम.सी., डी.सी.आई., एन.सी.आई.एस.एम., सी.सी.आई.एम., एन.सी.एच., एन.सी.टी.ई. एवं बी.सी.आई. इत्यादि द्वारा अनुमोदित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के आगामी तीन साल के ब्लॉक अर्थात् सत्र 2026-27, 2027-28 एवं 2028-29 के शुल्क विनियमन के संबंध में ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से दिनांक 12.01.2026 से आवेदन पत्र आमंत्रित करती है। उक्त के संबंध में सामान्य निर्देश निम्नानुसार हैं:-

1. संस्थायें प्रत्येक पाठ्यक्रम जिसकी शुल्क का विनियमन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना है के लिये समिति की वेबसाइट www.afrcmp.org पर निर्धारित लॉगिन आईडी (यूजर आईडी) के माध्यम से आवेदन पत्र एवं निर्धारित प्रोफार्मा भरेगीं। संस्थायें शुल्क विनियमन हेतु निर्धारित परीक्षण/निरीक्षण शुल्क की राशि यू.जी. पाठ्यक्रमों के लिए रु. 50,000/- एवं पी.जी. पाठ्यक्रमों के लिये रु. 25,000/- ऑनलाईन माध्यम से समिति, सचिवालय के बैंक खाते में जमा करायेंगीं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक संस्था को प्रत्येक पाठ्यक्रम के प्रोसेसिंग शुल्क की राशि के अतिरिक्त पोर्टल/मेन्टेनेन्स शुल्क की राशि भी ऑनलाईन माध्यम से जमा कराया जाना है।
2. प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा संस्था से वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 के सी.ए. द्वारा अंकेक्षित बैलेंस शीट एवं आय-व्यय पत्रक (Audited Balance Sheet and Income Expenditure) यूडिन आई.डी. सहित तथा पत्रक के साथ, संस्था के लिए निर्धारित प्रपत्रों को पूर्णतया भरकर आवश्यक सह पत्रों के साथ उपरोक्त

दिनांक तक संस्थाओं को शुल्क विनियमन से संबंधित प्रस्ताव वेबसाइट पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। सत्र 2025-26 की बैलेंस शीट तथा आय-व्यय पत्रक उपलब्ध नहीं होने की दशा में सत्र 2024-25 की बैलेंस शीट तथा आय-व्यय पत्रक का उपयोग कर शुल्क का निर्धारण किया जाएगा। अंकेक्षित आय-व्यय पत्रक संस्था के अध्यक्ष/सचिव/कोषाध्यक्ष द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर युक्त होना आवश्यक है।

3. निर्धारित शपथ-पत्र समिति, सचिवालय के पोर्टल से डाउनलोड कर रुपये 100/- के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर नोटराईज कराकर स्केन कॉपी को अपलोड करना आवश्यक है।
4. संस्थाएं जिनके द्वारा पूर्व के ब्लॉक अर्थात् सत्र 2025-26, 2026-27 एवं 2027-28 के शुल्क विनियमन हेतु निर्धारित परीक्षण/निरीक्षण शुल्क की राशि के साथ पोर्टल/मेंटीनेंस शुल्क की राशि तीन वर्ष के लिये ऑनलाईन के माध्यम से जमा करा दी गई है तो ऐसी संस्थाओं को परीक्षण/निरीक्षण शुल्क तथा पोर्टल/मेंटीनेंस शुल्क की राशि जमा नहीं करना है।
5. ऐसी संस्थायें जिनके द्वारा प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति के अधिनियम के तहत संचालित पाठ्यक्रमों हेतु पूर्व में अनुमोदन प्राप्त हुआ है, परन्तु इन पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क का विनियमन समिति से नहीं कराया है, को आगामी ब्लॉक के शुल्क विनियमन हेतु फार्म भरने के पूर्व इस सचिवालय में संस्था में संचालित इन पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाईन फार्म भरने के संबंध में लॉगिन आईडी (यूजर आईडी) एवं पासवर्ड प्राप्त कर निर्धारित प्रक्रियानुसार शुल्क विनियमन कराने की कार्यवाही करना आवश्यक है।
6. साथ ही ऐसी संस्थायें जिनके द्वारा प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति के अधिनियम के तहत संचालित पाठ्यक्रमों हेतु सत्र 2026-27 से पाठ्यक्रम के संचालन का अनुमोदन प्राप्त हुआ है एवं ऐसी संस्थायें आगामी ब्लॉक के शुल्क विनियमन प्रक्रिया में सम्मिलित होना चाहती हैं, को भी इस सचिवालय में संस्था के इस पाठ्यक्रम के लिए ऑनलाईन फार्म भरने के संबंध में लॉगिन आईडी (यूजर आईडी) एवं पासवर्ड प्राप्त कर निर्धारित प्रक्रियानुसार कार्यवाही करना है।
7. प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार शुल्क विनियमन हेतु संस्थाओं को समिति की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रोफार्मा में ही समस्त जानकारी भरना है। ऑनलाईन आवेदन भरने के पूर्व संस्थाओं को सलाह दी जाती है कि वेबसाइट पर उपलब्ध फार्म के प्रिन्ट आउट निकालकर तत्संबंधित जानकारी भर लेंवे तथा पोर्टल पर अपलोड किये जाने वाले संलग्नकों को स्केन कर पीडीएफ में रख लेंवे ताकि ऑनलाईन फार्म भरने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। संस्थाओं को ऑनलाईन फार्म भरने के निर्देश भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराये जा रहे हैं, संस्था इन निर्देशों को पढ़ लेंवे तथा उनका अवलोकन कर ऑनलाईन फार्म भरने की कार्यवाही करें।
8. निर्धारित दिनांक (पोर्टल पर ऑनलाईन) के पश्चात् प्राप्त प्रस्तावों पर समिति द्वारा विचार नहीं किया जावेगा एवं एक्ट में दिये गये प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही संभावित है।
9. प्रायः यह देखा गया है कि संस्थाओं के नामों में भिन्नता होने के कारण काउंसिलिंग के समय एवं स्कालरशिप पोर्टल पर की जाने वाली प्रक्रिया सम्पन्न करने में कठिनाई

उत्पन्न होती है। अतः ऐसी संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि अपनी संस्था का नाम संवैधानिक निकाय (ए.आई.सी.टी.ई., पी.सी.आई., एम.पी.एन.आर.सी., एन.एम.सी., डी.सी.आई., एन.सी.आई.एस.एम., सी.सी.आई.एम., एन.सी.एच., एन.सी.टी.ई., बी.सी.आई. इत्यादि) द्वारा दर्शाये अनुसार नाम में आवश्यक संशोधन हेतु प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति सचिवालय में आवेदन प्रस्तुत करें।

10. शुल्क निर्धारण प्रक्रिया हेतु निर्धारित समय-सारिणी (कैलेण्डर) प्रपत्र-A संलग्न है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

(माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित)



(ए.के.दीक्षित)

प्रशासनिक अधिकारी

दिनांक-12.01.2026

पृ.क्रमांक/सचि./ओएसडी/2026/

प्रतिलिपि-1. माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, भोपाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

- कार्यपालक निदेशक, क्रिस्प, भोपाल को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त पत्र को समिति, सचिवालय के वेबसाईट के होमपेज पर अपलोड करें तथा सत्र 2026-27, 2027-28 एवं 2028-29 के शुल्क विनियमन कराये जाने वाली संस्थाओं को ईमेल/एस. एम.एस. करते हुये उनके वेबपोर्टल पर उपलब्ध करावें।



(ए.के.दीक्षित)

प्रशासनिक अधिकारी

शुल्क निर्धारण प्रक्रिया हेतु निर्धारित समय-सारिणी

ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र उपलब्ध होने की तिथि	12.01.2026
ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि	31.03.2026
उच्च शिक्षा के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रमों की शुल्क निर्धारण की तिथि	15.04.2026
तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रमों की शुल्क निर्धारण की तिथि	15.05.2026
चिकित्सा शिक्षा के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रमों की शुल्क निर्धारण की तिथि	30.06.2026

विशेष टीप:-

- दिनांक 31.03.2026 के पश्चात् आवेदन प्रपत्र जमा करने हेतु पोर्टल पर लाइन खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अतः असुविधा से बचने के लिए संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित तिथि 31.03.2026 तक AFRC पोर्टल पर ऑनलाइन प्रपत्र जमा करना सुनिश्चित करें।
- आवेदन प्रपत्र के साथ निम्नांकित दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य है:-
 - वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 की Audited Balance Sheet and Income-Expenditure Statement (Course-wise and Institute-wise).
 - सत्र 2025-26 हेतु पाठ्यक्रम संचालन के लिये NCTE / AICTE / PCI / NMC / BCI / DCI / MPNRC / NCISM / CCIM / NCH आदि द्वारा जारी अनुमति पत्र।
 - सत्र 2025-26 में संबंधित पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय द्वारा जारी संबद्धता पत्र।



(ए.के.दीक्षित)

प्रशासनिक अधिकारी

//शपथ-पत्र//

मैं श्री.....पुत्र श्री
.....आयु.....निवासी
वर्तमान में समितिका अध्यक्ष/सचिव शपथपूर्वक निम्नानुसार कथन करता हूँ-

(1) यह कि मेरे द्वारा मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 21, सन् 2007) तदोपरांत संशोधित अधिनियम, 2013 एवं अधिनियम, 2007 (क्रमांक 21, सन् 2007) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार, एतद द्वारा सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक संस्थाओं में शुल्क के विनियमन से संबंधित राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित भोपाल, मंगलवार दिनांक 15 अप्रैल 2008 एवं तत्पश्चात् जारी सभी संशोधनों को पूर्णतः एवं ध्यानपूर्वक पढ़ लिया एवं समझ लिया गया है जो कि समिति की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

(2) यह कि मेरे द्वारा मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 21, सन् 2007) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार, एतद द्वारा सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक संस्थाओं में शुल्क के विनियमन से संबंधित राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित भोपाल मंगलवार दिनांक 15 अप्रैल 2008 के पृष्ठ क्रमांक 404 (3) कंडिका क्रमांक-23 के अनुसार “उस दशा में जहाँ प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति यह पाती है कि उपरोक्त अनियमितता की मात्रा अत्यधिक है, जो फीस निर्धारण की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है, तो प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति आवेदन को न मंजूर कर सकेगी और हमारी सोसायटी/ट्रस्ट/संस्था के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही भी कर सकेगी”, ध्यानपूर्वक पढ़ लिया गया है एवं समझ लिया गया है।

(3) प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति के द्वारा सत्र 2026-27, 2027-28 एवं 2028-29 के शुल्क विनियमन कराये जाने से संबंधित प्रपत्र में अधोहस्ताक्षर द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है।

(4) समिति सचिवालय द्वारा प्रेषित पत्रों के तहत दिये गये निर्देशों के अनुरूप संस्था द्वारा प्राप्त समस्याओं/शिकायतों में से समस्त समस्याओं/शिकायतों का निराकरण कर दिया गया है एवं इसकी सूचना प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, सचिवालय को भेज दी गई है।

(शपथ ग्रहीता)

सत्यापन

यह कि मैं श्रीपुत्र श्री.....आयु.....शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि उपरोक्त कंडिका क्रमांक 1 से 4 तक दी गयी जानकारी मेरे कथन के अनुसार सत्य एवं सही हैं।

(शपथ ग्रहीता)

टीप - उपरोक्त शपथ-पत्र को रु. 100/- के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पत्र पर टंकित करवाकर नोटरीज कराकर भेजें।